

सरकार से कि बीकानेर को हावड़ा से जोड़ा जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके।

एक माननीय सदस्य: मैडम, वह सरला जी का मतवक्ता है।

उपसभापति: सरला जी का मतवक्ता है और अग्रवाल जी का कथा है।

श्री रामदास अग्रवाल: वह भेरे प्रदेश में है इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ। वह उनका मतवक्ता है इसलिए वे मांग कर रही हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (एजस्थान): सरला जी तो हमारी बेटी है।

उपसभापति: मायके ही तो नहीं जा पा रही हैं। दिस इज द होल प्राव्हलाम। श्रीमती मालती शर्मा।

Rupee One Crore Scheme for M.P.s.

श्रीमती मालती शर्मा (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार ने जो एक करोड़ रुपए की योजना माननीय सदस्यों के लिए बनाई है उसमें कुछ जो आपत्तिजनक चीजें हैं उनके विषय में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ।

महोदया, इस बार जो स्कीम गयी है उसमें लिखा गया है—

"construction of buildings for schools, hostels, and other buildings of educational institutions belonging to the Government or local bodies and such buildings belonging to aided institutions also can be constructed if the ownership of the land has been transferred in favour of the Government till the building stands."

महोदया, इसमें मेरा निवेदन एक है कि जहां तक सहजें या अन्य चीजों के कंट्रॉलर न की जात है वह तो उचित है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्यालय अब तक भी इस स्थिति में हैं कि 14-14, 15-15 किलोमीटर तक बच्चों के पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है और जंगल में स्कूल खड़े हुए हैं तो उन स्कूलों को सहायता करने की आज विशेष आवश्यकता है।

उसमें मेरा निवेदन यह है कि इसमें यह जो एक चीज दे दी गयी है कि उसकी जरूरीन की ओरपरिप गवर्नमेंट को हो तब आकर हम उन विद्यालयों को

पेसे दे सकते हैं, इससे कठिनाई हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन सरकार से करना चाहूँगी कि इसमें केवल मान्यता का अगर प्रतिबंध हो जाए तो मैं समझती हूँ कि यह उचित होगा क्योंकि सरकार मान्यता देती है, सरकार विद्यालयों को क्षतिग्रस्त अनुदान देती है। ये दोनों ऐसे विषय हैं यदि सरकार विद्या कर ले तो फिर वह विद्यालय चल नहीं सकता है। इसलिए इसमें मान्यता का प्रतिबंध लगा दिया जाए। यह प्रतिबंध न लगाया जाए कि—

"If the ownership of the land has been transferred in favour of the Government till the building stands."

इस प्रतिबंध के कारण से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को हम लोग कोई सहायता नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं जिन्हें सरकार मदद नहीं दे रही है जो केवल अपनी छोटी सी पीस से ही चलते हैं उनके लिए विशेष रूप से यह कूट दी जानी चाहिए कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों को हम लोग कुछ फंड्स दे सके जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले विद्यालयों की भी कुछ सहायता हो सके। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन यह है कि इसमें मान्यता सब्द जोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam, this is a practical problem. If this condition is there, I think the problem cannot be solved. Instead of saying that the ownership of the land should be transferred to the Government, it should be that the land should be recognised by the Government. Only then the MPs' funds can be utilised for that purpose.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Madam, I also associate myself with the sentiments expressed by Shrimati Malti Sharma.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am also associating myself because I am also a Member of this House.

SHRI DIGVIJAY SINGH (Bihar): Madam, the whole House is associated.

प्रो॰ राम बख्श सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं भी अपने को मालती बहन जी के साथ एसोसिएट करता हूँ।

श्री इकबाल सिंह (पंजाब): मैं भी एसोसिएट करता हूँ।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान (नाम निर्देशित): मैडम, मैं इसके साथ एसोसिएट करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि जो इम्प्लॉयमेंट एजेंसी है... (व्यवधान)

उपसभापति: वह बात कहिए जो... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह मान: पंचायत को भी इसमें डाल देना चाहिए।

श्री दिव्यिजय सिंह: यह सारे हाउस की सर्वसम्मत हय है... (व्यवधान) उसमें इसकी इच्छात दी जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान: यह ठीक होगा गवर्नरेंट की जगह पंचायत भी उसमें होनी चाहिए। पंचायत को भी गवर्नरेंट एजेंसी मानना चाहिए।

उपसभापति: श्री नारायण प्रसाद गुप्ता जी।

Discontentment among victims of Bhopal Gas Tragedy due to Non-Payment of Compensation

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से भोपाल नगर के शेष 20 वाडों के लिए अंतरिम ग्राहत की घोषणा की मांग करना चाहता हूँ। महोदया, पूछ सदन जानता है सन् 1984 में भोपाल में एक बड़ा गैस हादसा हुआ यूनियन करबाइंड के द्वारा और कोई 7 या 8 लाख लोग शहर के प्रभावित हुए। हम आशा करते थे कि सरकार इसकी गंभीरता से लेगी और 7-8 लाख लोग जो गैस से पीड़ित हुए हैं और जिनकी पीड़ियां भी पीड़ित रहेंगी, सब सम्मत को सरकार गंभीरता से लेगी, लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि सरकार ने अभी तक इस पर गंभीरता से कर्तव्याधी नहीं की है।

मैं सब से पहली आपति मुझे यह है कि भोपाल के गैस पीड़ितों को जो मुआवजा दिया गया या जो कन्तर कराया गया है वह उनकी इच्छा के विपरीत कराया गया और जितना थे चाहते थे यूनियन करबाइंड से उनकी राशि समझौते में नहीं ली गई। पिछे भी जो समझौता हुआ, जो एशि आ-गई है वह अब केन्द्र सरकार के पास है और भोपाल के सात लाख लोग यह आशा करते हैं कि उनके पैसा जो उनके क्षति हुई है वह उनको बोट दिया जाएगा। पहली तकनीफ तो भोपाल में यह है कि जो सात, साढ़े सात लाख लोग उस समय गैस पीड़ित थे

उनमें से 5 लाख लोगों को गैस पीड़ित घोषित किया गया। 50 वाडों में से 36 वाडों को गैस पीड़ित घोषित किया गया। अब जो लोग भोपाल की सिचुएशन जानते हैं, यूनियन करबाइंड का करबाइंड जो भोपाल शहर के मध्य में ही सरकार ने उसको बनाने की अनुमति दे दी थी और इससे यह सारा हादसा हुआ। साएं शहर प्रभावित हुआ। शहर के बाहर यद्यपि यह फैक्ट्री होती तो शायद शहर इससे बच जाता अब जब यह गैस फैक्ट्री तो शहर के एक बाई में गई और दूसरे बाई में नहीं गई ऐसा तो हो भी नहीं सकता था। गैस जब चारों तरफ फैक्ट्री तो पूछ शहर प्रभावित हुआ। हम अब यह आशा करते थे कि 56 वाडों को ही गैस पीड़ित घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे स्वेच्छा है कि उनमें से केवल अभी तक 36 वाडों को ही घोषित किया गया। हमने संतोष रखा और यह कहा कि जरा इसकी जांच आप करवा लौजिए कि असलियत क्या है। इसलिए 1985-86 में टाटा सर्वे और आई-सी-एम-ओआर की मोडिकल रिपोर्ट में जिसमें बैणगढ़ भेल एवं नए भोपाल के 20 वाडों के लगभग 2 लाख लोग गैस पीड़ित हैं, उनकी पुष्टि हुई है। यह जो सर्वे रिपोर्ट आई है टाटा की उन्होंने कहा लेकिन सरकार ने उस पर भी पूछ भ्रोसा नहीं किया। पिछे जस्टिस कासलीवाल कमेटी बनाई गई। अब यह सब सरकार ने किया है और हम आशा करते थे कि यह जस्टिस कासलीवाल तो उन्हीं के हैं। उनके द्वारा एज्यार्सेट कमेटी की सिफारिश सरकार लागू करेगी। यह आशा कोई भी कर सकता है। लेकिन जस्टिस कासलीवाल कमेटी की भी रिपोर्ट आ गयी। उन्होंने भी उनकी सिफारिश कर दी। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तरह मांग की है कि इन 20 वाडों को भी उसमें समर्पित किया जाए। भोपाल पूरी तरह से अंदोलित है। इसके लिए लोग अंदोलन कर रहे हैं। 67 हजार पोस्ट कार्ड प्रधान मंत्री जी को भेजे गए हैं। आप इससे अंदोलन लगा सकते हैं, दो लाख लोगों में से 67 हजार पोस्टकार्ड लोगों ने भेजे हैं, लेकिन सरकार अभी तक जस्टिस कासलीवाल कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है। यह बहुत चिंता का विषय है। पहली एक्साम प्लान जो बनाई गई और जो अब जनवरी 1996 में समाप्त हो रही है वह तो समाप्त हो रही है लेकिन दूसरी जो योजना मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जहां कंग्रेस की सरकार है 172.05 करोड़ रुपये की जो नई योजना बनी गई है। अगर सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया तो पहले योजना जिस के लिए सरकार ने डेढ़ सौ करोड़ रुपया दिया है, वह बेकार हो जाएगी। इसलिए मध्य प्रदेश की कंग्रेस सरकार ने जो नयी योजना भेजी है